# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–2088/2009**
मीत सिंह

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

**–प्रत्यर्थी**

**आदेश की दिनांक** : 13.12.2023

**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 27.05.2008 (अनुलग्नक–6) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन को खारिज किया गया है। अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को नियुक्ति तदर्थ रूप में दिनांक 01.01.1982 को कनिष्ठ अभियंता(विद्युत) के पद पर दी गयी थी। अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 21.11.1983 को समाप्त की गयी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने वाद दायर किया। जिसका निर्णय दिनांक 14.12.1993 को हुआ एवं अपीलार्थी की सेवामुक्ति आदेश दिनांक 07.06.1983 को अपास्त कर सेवाएं निरन्तर मानी गयी। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से आदेश दिनांक 08.12.1995 जारी कर पूर्व में पारित आदेश दिनांक 07.06.1983 को विड्रो किया गया और अपीलार्थी को पुनः कार्य ग्रहण करवाया गया। अपीलार्थी को दिनांक 22.11.1983 से दिनांक 12.02.1995 तक बकाया वेतन भी स्वीकृत किया गया। बाद में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि अपीलार्थी को स्थायी किया जाए एवं चयन ग्रेड स्वीकृत की जाए। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 27.05.2008 पारित कर यह माना है कि अपीलार्थी ने अपना नियमित चयन नहीं कराया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जब भी कनिष्ठ अभियंता(विद्युत) की भर्ती के लिये पद विज्ञापित करे तब आवेदन कर परीक्षा में शामिल होकर स्वयं को नियमित कराये। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी उक्त पत्र दिनांक 27.05.2008 को इस अपील में चुनौती दी गयी है एवं

प्रार्थना की गयी है कि अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) के पद पर नियमित माना जाए एवं अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में शामिल किया जाए।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि कनिष्ठ अभियंता के पद पर तदर्थ है और अपीलार्थी ने अपना नियमित चयन नहीं कराया है। राज्य सरकार ने अवगत कराया है कि राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन व पथ शाखा) नियम 1973 के भाग–4 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग जब भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) की भर्ती के लिये पद विज्ञापित करे तब अपीलार्थी आवेदन पर परीक्षा में शामिल होकर स्वयं का चयन कराये। इसके पश्चात ही अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जानी संभव होगी।

3. हमनें उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी दिनांक 01.01.1982 से कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्य कर रहा है। ऐसे में अपीलार्थी को नियमित सेवा में माना जाना चाहिए। अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश दिनांक 07.06.1983 पारित किये जाने पर अपीलार्थी ने वाद भी प्रस्तुत किया था, जिसमें अपीलार्थी की सेवाए निरन्तर मानी गयी थी। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति तदर्थ रूप में हुई थी। अपीलार्थी को नियमित करने की कार्यवाही नियमानुसार ही की जा सकती है। ऐसे में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों देखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से

दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**